क्रम-संख्या-327

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 सितम्बर, 2009

भाद्रपद 18, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1236 / 79-वि-1–09-1(क)22-2009

लखनऊ, 9 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 8 सितम्बर, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, —

(क) खण्ड (कक) में,—

(एक) शब्द, "यंत्र" के स्थान पर शब्द, "कोई यंत्र या इलेक्ट्रानिक डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम या कोई अन्य उभरती हुई तत्समान तकनीक" रख दिये जायेंगे;

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :—

डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम हार्डडिस्क के माध्यम से या सेटेलाइट के माध्यम से या अन्यथा डिजिटल प्रिन्ट डिलीवरी प्राप्त करके डिजिटल सिनेमा प्रदर्शन में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सेट है।"

(ख) खण्ड (ककक) को खण्ड (क-1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (क-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क-2) "मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ दो या दो से अधिक सिनेमा हालों के समूह या समुच्चय से है,"

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(च-1) "टेलीविजन सिग्नल रिसीवर" का तात्पर्य किसी ऐसी युक्ति से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जो विशिष्ट चैनल के ट्रान्समिशन प्रोग्राम को प्राप्त करने और/या डिकोड करने के लिये प्रयुक्त किया जाये और जिसके बिना कोई भी व्यक्ति ऐसे विशिष्ट चैनल के प्रोग्राम को देखने में समर्थ न हो ;"

"(च-2) "टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जहां टेलीविजन जब सिग्नल रिसीवर का किसी भी रीति से विक्रय या किराये पर देना या वितरण या विनियम या परिचालन में रखने का व्यवसाय होता हो;"

(घ) खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये खण्ड (ज) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ) "वीडियो" का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसमें वीडियो कैसेट से या किसी अन्य युक्ति से, चाहे जो भी नाम हो, रिकार्ड करना या पुनःप्रस्तुत करना या किसी रिकार्डिंग के माध्यम से पारेषण करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।"

(ङ) खण्ड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(झ) इस अधिनियम में उपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 या केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियमों में समनुदेशित हैं।"

3–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– धारा 3 का संशोधन

"3–इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा अधिरोपित शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अलावा,–

(क) चलचित्र के माध्यम से कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, या

(ख) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करेगा, या

(ग) वीडियो पुस्तकालय नहीं रखेगा, या

(घ) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी नहीं रखेगा।"

4–मूल अधिनियम की धारा 6-क में शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" रख दिये जायेंगे। धारा 6-क का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 8 में,– धारा 8 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(3) यदि कोई व्यक्ति किसी चलचित्र या वीडियो फिल्म या किसी रिकार्ड, जिसमें फिल्म से सम्बन्धित साउण्ड ट्रैक का भाग समाविष्ट है, से सम्बन्धित प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन दण्डनीय है, से सम्बन्धित अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या चलचित्र या वीडियो कैसेट या कोई अन्य डिवाइस जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय, की किसी उल्लंघन-कृत प्रति को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देता है या उसका विक्रय, भण्डारण करता है किराये पर देता है या वितरण करता है, उसका विनिमय करता है या परिचालन में लाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात उक्त उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध का पुनः दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।"

धारा 13 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (क) में शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (तक) में शब्द "चलचित्र" के स्थान पर शब्द "चलचित्र या वीडियो" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अधिनियमन चलचित्र-यन्त्र या वीडियो के माध्यम से फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए किया गया है।

2–प्रौद्योगिकी की उन्नति के फलस्वरूप प्राप्त मनोरंजन के आधुनिक साधनों को लाइसेंस के परिक्षेत्र में लाकर उन्हें विनियमित करने और फिल्म/वीडियो-चोरी की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1956) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय,–

(क) राज्य के सिनेमा घरों में नई इलेक्ट्रानिक प्रक्षेपण प्रणाली अपनाने के लिए प्रावधान किया जाय;

(ख) शब्द मल्टीप्लेक्स, टेलीविजन सिग्नल रिसीवर, टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी और वीडियो को परिभाषित किया जाय;

(ग) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसियों को लाइसेंस के परिक्षेत्र के अधीन लाकर डी.टी.एच. सेवा को आच्छादित किया जाय;

(घ) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसियों का निरीक्षण किया जाय;

(ङ) चलचित्र या वीडियो प्रदर्शन से संबंधित प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर अधिरोपित दण्ड और उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई विधि और नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड में वृद्धि की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1236 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-22-2009

Dated Lucknow, September 9, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chalchitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 08, 2009.

THE UTTAR PRADESH CINEMA (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT NO. 27 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) (Amendment) Act, 2009. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 hereinafter referred to as the principal Act,- Amendment of section 2 of U.P. Act no. 3 of 1956

(a) in clause (aa),-

(i) *for* the words "any apparatus" the words "any apparatus or electronic digital projection system or any other emerging analogous technology" shall be *substituted*.

(ii) the following explanation shall be *inserted* at the end, namely :-

"*Explanation*- Digital projection system is a set of electronic apparatus used for digital cinema exhibition receiving digital print delivery through hard disc or through satellite or otherwise."

(b) clause (aaa) shall be re-numbered as clause (a-1) and *after* clause (a-1) as so re-numbered the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(a-2) 'Multiplex' means a group or conglomeration of two or more than two cinema halls within the same premises with commercial, cultural and other entertainment related facilities."

(c) *after* clause (f) the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(f-1) 'television signal receiver' means any device, by whatever name called, used to receive and/or decode the transmission programme of particular channel and without which no person is able to see a particular channel programme;

(f-2) 'television signal receiver agency' means a place by whatever name called, where business of selling or letting on hire or distribution or exchange or putting into circulation in any manner whatsoever of television signal receiver."

(d) clause (g) shall be re-numbered as clause (h) and *before* clause (h) as so re-numbered the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(g) 'Video' means any system, by whatever name called, of recording on, or reproducing from video cassette or any other device by whatever name called or transmitting through any recording medium or directly the moving visual images with or without sound."

(e) *after* clause (h) the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(i) Words and expression not defined in this Act but defined in the Uttar Pradesh Entertainments and the Betting Tax Act, 1979 or the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 shall have the meaning assigned to them in the said Acts."

Amendment of section 3

3. *For* section 3 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-

"3. Save as otherwise provided in this Act, no person shall,-

(a) give an exhibition by means of cinematograph, or

(b) give an exhibition by means of video, or

(c) keep a video library, or

(d) keep television signal receiver agency,

elsewhere than in a place licensed under this Act, or otherwise than in compliance with the conditions and restrictions imposed by such license."

Amendment of section 6-A

4. In section 6-A of the principal Act, *for* the words 'video library' the words 'video library or television signal receiver agency' shall be *substituted*.

Amendment of section 8

5. In section 8 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) *for* the words 'video library' the words 'video library or television signal receiver agency' shall be *substituted*;

(ii) *for* the words 'five thousand rupees' the words 'ten thousand rupees' shall be *substituted*;

(iii) *for* the words 'five hundred rupees' the words 'two thousand rupees' shall be *substituted*.

(b) in sub-section (2) *for* the words 'two thousand rupees' the words 'five thousand rupees' shall be *substituted*.

(c) *after* sub-section (2) the following sub-sections shall be *inserted*, namely:-

"(3) If any person commits or attempts to commit or abets the commission of offen of infringement of copyright in relation to a cinematograph or video film or a record embodying in part of sound track associated with the film, punishable under the Copyright Act, 1957 or exhibit or permits to be exhibited or sale, store, let on hire, distribute, exchange or put into circulation any infringed copy of cinematograph film or video cassette or any other device by whatever name called shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.

(4) If a person, having been convicted of an offence punishable under sub-section (3) is again guilty of an offence punishable under that sub-section, he shall be punishable for the second or subsequent offence for a term of imprisonment which shall not be less than one year which may extend to two years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees or with both."

Amendment of section 13

6. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2),-

(a) in clause (a) *for* the words 'video libraries' the words 'video libraries or television signal receiver agencies' shall be *substituted*;

(b) in clause (aa) *for* the words "cinematography" the words "cinematography or video" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 has been enacted to regulate public exhibition of film through cinematography or video.

2. With a view to covering modern means of entertainment achieved due to advancement of technology, by bringing them in the purview of license, and to prevent illegal activities of film/video piracy, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) to provide for,

(a) introducing provision for adopting new electronic projection systems in the cinema halls of the State;

(b) defining the words multiplex, television signal receiver, television signal receiver agency and video;

(c) covering D.T.H. service by bringing television signal receiver agencies under the purview of license;

(d) inspection of television signal receiver agencies;

(e) enhancing penalty on copyright offenders in relation to cinematograph or video exhibition and the punishment for the breach of laws and rules made under the said Act.

The Uttar Pradesh Cinema (Regulation) (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-573 राजपत्र-(हि0)-2009-(1170)-597 प्रतियां (कम्प्यू0-टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-140 सा0 विधायी-2009-(1171)-850 प्रतियां (कम्प्यू0-टी0/आफसेट)।